

पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर
जिलों में कर चोरी के मामले

2041. श्री हुसमदेव नारायण यादव :
क्या वित्त मंत्री 15 सितम्बर तथा
18 अगस्त, 1981 को राज्य सभा में क्रमशः
अतारांकित प्रश्न 2552 तथा अतारांकित
प्रश्न 186 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह
बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सब लोगों के नाम और पते
क्या हैं जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये
थे और उनके विरुद्ध ये आरोप कब लगाये गये
थे तथा जांच की कार्यवाही में विलम्ब के कारण
क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके द्वारा
प्रस्तुत किये गये विवरण में उन्होंने तथ्यों को
छिपाया है और सम्बन्धित विभाग भी उस
पर पर्दा डाल रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो आरम्भ में
उनकी चल और अचल सम्पत्ति का व्योरा क्या
था और इस वक्त उनकी चल और अचल
सम्पत्ति का व्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जिन
व्यक्तियों के विरुद्ध आयकर प्राधिकारियों को,
समय समय पर आरोप प्राप्त हुए थे, उनके
नाम तथा पते राज्य सभा में 18 अगस्त,
1981 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं०
186 के उत्तर में पहले ही दिये जा चुके हैं।
जांच करने में समय लगता है और जहां कहीं
आवश्यक समझा गया, उन सभी मामलों में
जांच विधिवत् शुरू कर दी गई थी। ऐसी कोई
बात नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि विभाग
किसी व्यक्ति को संरक्षण देता रहा है। जैसा
कि पहले उल्लेख किया गया था, कुछ मामलों
में प्राप्त हुई मूल्यांकन रिपोर्टों से यह पता चला
कि पर्याप्त मात्रा में धन छिपाया गया था।
कर-निर्धारणों को अन्तिम रूप दे दिये जाने

के बाद ही व्योरा का पता चलता है। इन मामलों
में सभी कर-निर्धारणों को अभी अन्तिम रूप
दिया जाना है।

बिहार के व्यापारियों के विरुद्ध संसद
सदस्यों का अभ्यावेदन

2042. श्री हुसमदेव नारायण यादव :
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 जुलाई,
2042 को कुछ संसद सदस्यों ने सरकार
को एक पत्र भेजा था जिसमें दरभंगा, मुजफ्फरपुर,
समस्तीपुर और पटना (बिहार) के व्यापारियों
के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे और जांच की
मांग की गई थी; यदि हां, तो जिन व्यक्तियों के
विरुद्ध आरोप लगाए गए थे उनके नाम क्या
हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) प्रत्येक मामले में आरंभिक पूंजी
क्या थी और उनकी चल और अचल सम्पत्ति
का वर्तमान मूल्य क्या है ; और

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने अपनी
आय छिपाकर और जाली रजिस्टर रखकर
और सम्पत्ति अर्जित कर ली है ; यदि हां, तो
क्या सरकार इस मामले की जांच
करवाने का विचार रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई
सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) एक संसद
सदस्य से 10 जुलाई, 1981 को लिखी गयी
एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें दरभंगा,
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर तथा पटना (बिहार)
के कुछ व्यक्तियों के खिलाफ कतिपय आरोप
लगाये हैं। मामले की जांच-पड़ताल की जा
रही है। इस अवस्था पर जांच के व्योरा को
प्रकट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे
जांच पड़ताल में बाधा पड़ सकती है।